

भाग-2 (संबंधित उप का संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या रक्कीग की अवारिथति
- (i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र उत्तराखण्ड
 (ii) ज़िला मुर्शिदाबाद
 (iii) ज़िला का प्रभाग केन्द्र बन उपाय
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी मई वन भूमि की विधिक प्रारिथति
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनरपति का ब्यौरा:
- (i) वन का प्रकार
 (ii) वनरपति का औसत पूर्ण धनत्व 0.20
 (iii) प्रजातिवार रथानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिमाण।।
 (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा एलांग
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणि
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगागग दूरी एलांग
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की गहत्ता
- (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगागग विद्यगान वन्यजीव का ब्यौरा :
 (ii) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के गांग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में गुरुत्व वन्य जीव वार्डन की ओर टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 (iii) क्या किरी राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 (iv) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 (v) क्या क्षेत्र में वनरपति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत रथल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण रामारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणिया दें नहीं
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अग्रिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
 (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के शिफारि । किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- 24 किए गए अतिकमण के बारे में
 (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति को नियमित वा अतिकमण में किसी कार्य को किया जाता है (हाँ/नहीं) नहीं
- (ii) यदि हाँ की गई कार्य अवधि अतिकमण ने नियमित वा अतिकमण के लिए उत्तरदाती विधि (या) का लाभ पर और उपर्युक्त विधि अतिकमण के द्वारे और अतिकमण के लिए उत्तरदाती विधि उत्तरदाती विधि (या) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)
- 25 क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के द्वारे
 (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई का यही की विभाग प्राप्ति। संलग्न है
- (ii) अवरिथति, सर्वेषाणि या कामात्मकों या स्वसारा सख्त और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनाश वन जैसे भौतिक दर्शन करने वाले 150,000 वाप के गूल में रथल परत भारत का सर्वेषाणि और राष्ट्रीय वन रीमाएं राखा जाता है। संलग्न है
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन कीकरण या अवनाश वन दर्शन करने वाले 150,000 वाप के गूल में रथल परत भारत का सर्वेषाणि और राष्ट्रीय वन रीमाएं राखा जाता है। संलग्न है
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यवयन अभिकरण, सामग्री लाभत वारदान आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के द्वारे संलग्न है (हाँ/नहीं) संलग्न है
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए फूल वित्तीय उपरिक्षय 313,950/- लाख
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सबकुछ उपवन संरक्षक से प्रगाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं) नहीं है
26. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सबकुछ उपवन संरक्षक से प्रगाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं) हाँ है
27. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सबकुछ उपवन संरक्षक से प्रगाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं) हाँ है

वन संरक्षण उत्तरार्द्ध लंगुली वाली है,

रथान: शुभनिल कुमार
 तारीख: 02/02/2015

प्रमाणित
उत्तरार्द्ध वन संरक्षण मुद्रा
वरन्ननगर वन प्रभाव
पूनि-की-रेही